

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला: **A.C.B O.P. Alwar-1st** थाना: **C.P.S, A.C.B. Jaipur** वर्ष **2022**  
प्र.ई.रि.सं. **58/22** दिनांक **23/02/2022**
- 2.—(1) अधिनियम: भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा .....7, 7 ए  
(2) अधिनियम: भारतीय दण्ड संहिता धारा..... 120 बी  
(3) अधिनियम..... धारायें.....  
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
- 3.—(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....**496**.....समय.....**5:55 Pm**  
(ब) अपराध के घटने का दिन: सोमवार, दिनांक 21/02/2022, समय 1.30 पी.एम.से 3.51 पी.एम.तक  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक - 16/02/2022, समय 4.30 पी.एम.
- 4.—सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित
- 5—घटनास्थल :  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी: दक्षिण, दूरी करीब 02 किमी., ए.सी.बी., चौकी अलवर सें  
(ब) पता:— **हरीश हॉस्पिटल अलवर एवं कार्यालय नगर विकास न्यास अलवर**  
बीट संख्या ..... जरायमदेही सं.....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना .....जिला.....
- 6.— परिवादी / सूचनाकर्ता :-  
(अ)नाम :- श्री रूपेन्द्र कुमार मेहरा  
(ब)पिता का नाम :- श्री गिरधारी लाल बैरवा  
(स)जन्म तिथि :- उम्र 21 वर्ष  
(द)राष्ट्रीयता :- भारतीय  
(य)पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह  
(र)व्यवसाय:-  
(ल)पता:- महुकलॉ पोस्ट महुखेडा तह. बसवा, जिला दौसा हाल नयाबास, अलवर मो. न. 8094223818
- 7.— ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-  
1— श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री हरदयाल चौधरी, उम्र 46 साल निवासी - मेहन्दीबाग मौहल्ला, लाल डिग्गी चौराहे के पास जयपुर रोड अलवर, पुलिस थाना अरावली विहार अलवर हाल कनिष्ठ लिपिक, नियमन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर (राज.)  
2— श्री नरेन्द्र कुमार जाटव पुत्र श्री खुबीराम जाटव, उम्र 35 साल निवासी मकान नं. 105 स्कीम नं. 10 बी अलवर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (निविदा कर्मी), संस्थापन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर जरिये चौकस पूर्व सैनिक सिक्योरिटी सर्विस अभिनव सहकारी सोसायटी लिमिटेड, विवेकानन्द नगर सैक्टर नं. 02 भगोरिया जनरल स्टोर अलवर (राज.)  
3— श्री कमलेश सैनी पुत्र श्री डालचन्द सैनी, उम्र 33साल निवासी सी-56 शक्तिनगर, साहब जोहडा अलवर, पुलिस थाना- शिवाजी पार्क अलवर हाल सिक्योरिटी गार्ड (निविदा कर्मी), संस्थापन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर जरिये इण्डियन एक्ससे वैलफेयर सोसायटी लिमिटेड, सिरसी रोड, खातीपुरा जयपुर (राज.)
- 8.— परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :- .....
- 9.— चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें ):-
- 10.—चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य:- 20,000 / -रुपयें ट्रेप राशि
- 11.—पंचनामा / यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो ).....
- 12.—विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ( अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें )

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 16-02-2022 को समय 4.30 पी.एम. पर श्री रूपेन्द्र कुमार मेहरा पुत्र श्री गिरधारी लाल बैरवा, उम्र 21 साल, निवासी महुकलॉ, पोस्ट महुखेडा, तह. बसवा, जिला दौसा हाल निवासी नयाबास, अलवर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचर निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक प्रेम चन्द को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अलवर विषय- UIT के रिशवत खोर श्री मुकेश चौधरी बाबू व श्री नरेन्द्र कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर को रिशवत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय निवेदन है कि मैं महुकलॉ का बास तह. बसवा जिला दौसा का रहने वाला हूं। हमने मेरी मम्मी शारदा देवी पत्नी श्री गिरधारी लाल बैरवा के नाम से खुदनपुरी (दुर्गा कॉलोनी) अलवर में एक आवासीय भूखण्ड ले रखा है उक्त भूखण्ड का UIT अलवर से पट्टा जारी करवाने के लिए मैने मेरी मम्मी शारदा देवी के नाम से दिनांक 21.09.2020 को UIT अलवर में आवेदन किया था। मेरी मम्मी शारदा देवी के नाम से उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं होने पर करीब डेढ माह पूर्व मे UIT अलवर की नियमन शाखा में जाकर उक्त पट्टा पत्रावली का मालूम किया तो उक्त पत्रावली नियमन शाखा में जाकर उक्त पट्टा पत्रावली का मालूम किया तो उक्त पत्रावली नियमन

4



शाखा के श्री मुकेश चौधरी बाबू के पास थी मैंने मुकेश चौधरी बाबू नियमन शाखा से हमारे पट्टा जारी करवाने के लिए कहाँ तो श्री मुकेश चौधरी बाबू ने मेरे से कहाँ कि UIT में पट्टे ऐसे ही जारी नहीं होते हैं। इसके लिये तेरे को खर्चा पानी देना होगा तथा आपको यहाँ फालतू चक्कर लगाने कि जरूरत नहीं है। आपके पास फोन आ जायेगा कि आपको पट्टा फीस व हमारे खर्चा पानी के कितने पैसे देने पड़ेगे। इसके बाद दिनांक 16.02.22 को मेरे मो.न. 8094223818 पर श्री नरेन्द्र कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर UIT अलवर का मिस कॉल आया जिस पर मैंने मेरे मो. से नरेन्द्र कुमार के मो.नं 9214944964 पर वार्ता की तो नरेन्द्र कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर ने मेरा पट्टा जारी करवाने की एवज में श्री मुकेश कुमार बाबू व अपने स्वयं के लिये मेरे से 15000/- रिश्वत की मांग कि तथा 18000 रुपये पट्टा फीस के जमा करवाने के लिए कहाँ। मैं मेरे जायज काम पट्टा जारी करवाने कि एवज में श्री मुकेश चौधरी बाबू व श्री नरेन्द्र कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर नियमन शाखा UIT अलवर को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ तथा उक्त को रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक 16.02.2022 प्रार्थी हस्ताक्षर रूपेन्द्र कुमार मेहरा s/o श्री गिरधारी लाल बैरवा, उम्र 21 साल R/o महकलॉ पोस्ट महखेडा तह. बसवा, जिला दौसा हाल नयाबास, अलवर मो.न. 8094223818" पेश की। परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर मजीद पूछताछ की तो मामला रिश्वत माँग का बनना पाया गया। जिस पर दिनांक 16-02-2021 एवं 17-02-2022 को रिश्वत की माँग का गोपनीय सत्यापन जरिये मोबाईल करवाया गया तो सदिग्ध आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास न्यास, अलवर ने परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार से परिवादी की माताजी शारदा देवी का पट्टा जारी करवाने की एवज में अपने स्वयं के लिये एवं अन्य के लिये 20 हजार रु0 रिश्वत की माँग करना और पट्टा शुल्क के 12 हजार रुपये जमा करवाने के लिये अलग से देने के लिये कहना सत्यापित हुआ।

दिनांक 21.02.2022 को कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, अलवर को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो राजकीय कर्मचारी बतौर स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु पत्र जारी किया जाने पर वहाँ से श्री धर्मवीर, तकनिकी सहायक प्रथम एवं श्री संजय कुमार शर्मा, वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता-ए-4, (पवस), जयपुर डिस्कॉम, अलवर उपस्थित आये।

दिनांक 21.02.2022 को समय 10.20 ए0एम0 पर अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार मेहरा के उपस्थित आने पर परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार मेहरा एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री धर्मवीर, तकनिकी सहायक प्रथम एवं श्री संजय कुमार शर्मा, वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता-ए-4, (पवस), जयपुर डिस्कॉम, अलवर का आपसी परिचय करवाया गया तथा उन दोनों को परिवादी द्वारा दिनांक 16.02.2022 को ब्यूरो में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार एवं उक्त दोनो गवाहान की मौजूदगी में दिनांक 16.02.2022 एवं 17.02.2022 को करवाई गई रिश्वत की माँग के गोपनीय सत्यापन की रिकॉर्ड वार्तालापो की प्रक्रियानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं तीन सी.डी. तैयार करवाई जाकर उन्हे मार्क "ए-1", "ए-2", एवं "ए-3" चिन्हित किया गया। इनमे से मार्क ए-1 तथा ए-2 को पृथक पृथक प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखवाकर उन्हे कपडे की थैली में सील्ड चिट करवाकर वजह सबूत कब्जे ए.सी.बी. लिया गया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को उक्त कार्यवाही के दौरान उपयोग हेतु डिजिटल वाईस रिकार्डर में ही लगाकर सुरक्षित रखा गया।

तत्पश्चात समय 10.30 ए0एम0 पर परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार से आरोपीगण को बतौर रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 2000-2000 रुपये के 07 नोट एवं 500-500 रुपये के 36 नोट कुल 32 हजार रुपये निकाल कर पेश किये और बताया कि इनमे से 12 हजार रुपये तो मुझे अपने पट्टा की फीस के नगर विकास न्यास अलवर में जमा करवाने हेतु श्री नरेन्द्र कुमार को देने है तथा राशि 20,000 ( बीस हजार रुपये) नरेन्द्र कुमार को उनके द्वारा मांगी गई रिश्वत के देने हेतु बताया। इस पर परिवादी द्वारा पेश किये गये रिश्वत राशि के बीस हजार रुपये के नोटों का विवरण फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर उक्त रिश्वत राशि के 20,000 रुपये के नोटों पर श्रीमती सुनिता महिला कानि. 201 से फिनोपथलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार के शरीर पर पहने हुए कपडों की जामा तलाशी गवाह श्री संजय कुमार से लिवाई गई तो उसके पहने हुए कपडो में से पेन्ट की बांयी जेब में एक मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु/राशि या दस्तावेजात नहीं पाये गये। परिवादी का मोबाईल फोन उसके पास ही पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रखवाया गया। तत्पश्चात उपरोक्त फिनोपथलीन पाऊडर लगे उक्त 20 हजार रुपये की राशि के नोटों को श्रीमती सुनिता महिला कानि. 201 से परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में सुरक्षित रखवाये गये। परिवादी एवं गवाहान को आवश्यक हिदायत दी गई। परिवादी एवं गवाहों के समक्ष सोडियम कार्बोनेट पाऊडर व फिनोपथलीन पाऊडर की रासायनिक प्रक्रिया प्रदर्शित कर उसकी उपयोगिता एवं महत्व के बारे में समझाईस की गई। तत्पश्चात माँग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्तालाप में आये तथ्यों एवं परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार द्वारा बताये अनुसार आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार ने परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार को 12,000 रुपये पट्टे की फीस के नगर विकास न्यास अलवर में जमा करवाने हेतु उक्त रिश्वत राशि के अतिरिक्त देने हेतु कहा है। इसलिये परिवादी द्वारा प्रस्तुत की

4